



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102021-230743
CG-DL-E-26102021-230743

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4113]
No. 4113]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 26, 2021/कार्तिक 4, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2021/KARTIKA 4, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4468(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसके बाद इसे उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड की सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिये पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री प्रकाश कुमार भारद्वाज, संयुक्त कलेक्टर, जिला- दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ सरकार को, प्रतिनियुक्ति के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/114/2021-जीपी-II (ई-40029)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2021

S.O. 4468(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the

Government of India hereby authorizes Shri Prakash Kumar Bhardwaj, Joint Collector, District - Dantewada, Government of Chhattisgarh to perform the functions of Competent Authority on deputation basis under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for all Natural Gas Pipeline Projects of M/s. GAIL (India) Limited in the State of Chhattisgarh.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/114/2021-GP-II (E-40029)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.